"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल 2012—चैत्र 30, शक 1934

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-15/आठ-परि./2012.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. नियम 70-क के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, अंक "65" के स्थान पर, अंक "100" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. नियम 70-क के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में, अंक "65" तथा "165" के स्थान पर, क्रमशः अंक "100" तथा "200" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. नियम 70-क के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में, अंक "165" के स्थान पर, अंक "200" प्रतिस्थापित किया जाए.

4. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (क) में, अंक "8" के स्थान पर, अंक "12" प्रतिस्थापित किया जाए.

5. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (ख) के सरल क्रमांक (2) में, अंक "40" के स्थान पर, अंक "35" प्रतिस्थापित किया जाए.

6. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (क) में, अंक "10" के स्थान पर, अंक "15" प्रतिस्थापित किया जाए.

7. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (ख) में, अंक "35" तथा "35" के स्थान पर, अंक "30" तथा "30" प्रतिस्थापित किया जाए.

8. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (ख) के प्रथम परन्तुक में, शब्द परन्तु के पश्चात् शब्द "डीलक्स बस," अन्तःस्थापित किया जाए.

9. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (तीन) में, अंक "12" के स्थान पर, अंक "15" प्रतिस्थापित किया जाए.

10. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (चार) में, अंक "8", "10" तथा "12" के स्थान पर, क्रमशः अंक "12", "15" तथा "15" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 5-15/आठ-परि./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-04-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 19th April 2012

NOTIFICATION

No. F 5-15/VIII-Tr./2012.—In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (a) of sub-rule (1) of Rule 70-A, for the figure "65" the figure "100" shall be substituted.

2. In clause (b) of sub-rule (1) of Rule 70-A, for the figure "65" and "165" the figure "100" and "200" shall be substituted respectively.

3. In clause (c) of sub-rule (1) of Rule 70-A, for the figure "165" the figure "200" shall be substituted.

4. In sub-clause (a) of clause (i) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "08" the figure "12" shall be substituted.

5. In serial number (Two) of sub-clause (b) of clause (i) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "40" the figure "35" shall be substituted.

6. In sub-clause (a) of clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "10" the figure "15" shall be substituted.

7. In sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "35" and "35", the figure "30" and "30" shall be substituted respectively.

8. In the first proviso of sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, after the words "in respect of" the words "deluxe bus," shall be inserted.

9. In clause (iii) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "12" the figure "15" shall be substituted.

10. In clause (iv) of sub-rule (2) of Rule 70-A, for the figure "08", "10" and "12" the figures "12", "15" and "15" shall be substituted respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.